आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-06832/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902570106832
माँ गायत्री ट्रस्ट भीखापुर कानीडीह द्वारा अर्जुन सिंह बनाम गाव सभा आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम–भीखापुर कानीडीह, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, प्रतापगढ

निर्णय

प्रस्तुत वाद माँ गायत्री ट्रस्ट भीखापुर कानीडीह द्वारा अध्यक्ष अर्जुन सिंह सुत गंगा सागर सिंह नि0–भीखापुर कानीडीह, परगना–बिहार तहसील–कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ प्रार्थना पत्र जो आर0सी0 प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम–भीखापुर कानीडीह, परगना–बिहार तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की ... खतौनी खाता सं0 00063 की गाटा संख्या 820 क्षेत्रफल 1.000हे0 में से 0.190हे0 ... द्वारा महाविद्यालय भवन का निर्माण एवं परिसर के रूप में प्रयोग कर रहा है और उस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जाँच तहसीलदार कुण्डा से कराई गई। तहसीलदार कुण्डा की आख्या दिनांक 19.11.2019 संलग्न पत्रावली है। जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम भीखापुर कानीडीह, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता 00063 की गाटा संख्या 820 क्षेत्रफल 1.000हे0 में से 0.190हे0 पर वादी माँ गायत्री ट्रस्ट भीखापुर कानीडीह द्वारा अध्यक्ष अर्जुन सिंह सुत गंगा सागर सिंह द्वारा महाविद्यालय भवन एवं परिसर बनाकर काबिज दखल है। वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में तनहा ... में दर्ज है, वादी के सम्पूर्ण अंश पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जिसके स्थल ... भी पत्रावली में संलग्न किया गया है। ग्रामसभा को नोटिस जारी की गयी, जो ... संलग्न पत्रावली है। राजस्व अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) कुल भूमि 0.190हे0 का मूल्यांकन जिलाधिकारी के सर्किल रेट के आधार पर 5,32,000/– रू0 होता है, जिसका 2% उद्घोषणा ... 10640/– होता है, जो सरकारी कोष में चालान सं0 LR100123 दिनांक ... जमा किया गया तथा 1% न्याय शुल्क रू0 5320/– सरकारी कोष में ... A700008 दिनांक 07.01.2020 को जमा किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण कु...

PRINCIPAL
Ganga Sagar Singh Pharmacy College
Bhikhapur, Kanideeh, Kunda-Pratapgarh

पृष्ठ सं0 ...

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ़,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-06832/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902570106832
माँ गायत्री ट्रस्ट भीखापुर कानीडीह द्वारा अर्जुन सिंह बनाम गाव सभा आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

1000/- सरकारी कोष में चालान सं0 A700028 दिनांक 07.01.2020 को जमा किया गया। जिसकी जमा रसीद संलग्न पत्रावली है तथा घोषणा पत्र रू0 50/- (50 रू0) स्टाम्प पेपर संलग्न पत्रावली है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम–भीखापुर कानीडीह, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता सं0 00063 की गाटा संख्या 820 क्षेत्रफल 1.00080 में से 0.19080 पर महाविद्यालय भवन एवं परिसर बनाकर व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उक्त आराजी पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, जिसको अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः वादी माँ गायत्री ट्रस्ट भीखापुर कानीडीह द्वारा अध्यक्ष अर्जुन सिंह पुत्र श्री खड़ग सिंह नि0 ग्राम–भीखापुर कानीडीह परगना–बिहार तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम–भीखापुर कानीडीह, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता सं0 00063 की गाटा संख्या 820 क्षेत्रफल 1.00080 में से 0.19080 पर भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार कुण्डा की प्रेषित आख्या दिनांक 19/11/2019 व लेखपाल की अनुकृति आदेश का अंग होगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों आख्या तथा शपथ पत्रों के असत्य या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 82(1) के तहत स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जायेगा। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक कुण्डा, प्रतापगढ़ को भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- 07.01.2020

07.01.2020
(जे0आर0 चौधरी)
उपजिलाधिकारी,
कुण्डा–प्रतापगढ़

PRINCIPAL
Ganga Sagar Singh Pharmacy C...
Bhikhapur, Kanideeh, Kunda-Pratapgarh

यह आदेश खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

07.01.2020
उपजिलाधिकारी,
कुण्डा प्रतापगढ़

1193
8-1-20
8-1-20
8-1-20

08/01/20

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

पृष्ठ संख्या :